डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. समयसिंह पुत्र सुबुद्वी
2. गजराज पुत्र सुबुद्वी
3. डूंगजीराम पुत्र सुबुद्वी
4. राजन्ती पुत्री सुबुद्वी
5. भगवन्ती पुत्री सुबुद्वी

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान देवलेन तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. धारासिंह पुत्र गणेश
2. गंगासिंह पुत्र गणेश
3. भगवान सिंह पुत्र गणेश
4. भरतसिंह पुत्र गणेश

   समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान देवलेन तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 18/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट हमारे मिनजानिब गौरीशंकर गूर्जर एडवोकेट मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम देवलेन स्थित आराजी ख0न0 1249/0.05, 1250/0.05, 1251/0.05, 1459/0.33, 1474/0.17, 1475/0.16, 607/0.23, कुल किता 7 कुल रकवा 1.09 है0 मे हिस्सा 1/2 मे वादीगण को हि.ब. ख0न0 126/2629/0.65, 127/1.90, 130/0.27, 141/0.18, 142/0.11, 143/0.11, 144/0.11, 145/0.16 कुल किता 8 कुल रकवा 3.49 है0 मे हिस्सा 1/4 मे वादीगण को हि.ब., ख0न0 2516/1.23, 2519/0.20 कुल किता 2 कुल रकवा 1.43 है0 मे हिस्सा 1/4 मे वादीगण को हि.ब., ख0न0 2249/0.07, 2314/0.12, 2461/0.18, 2464/0.11, 2517/2650/0.04, 2518/0.61, 408/0.32, 409/0.05 कुल किता 8 कुल रकवा 1.51 है0 मे खातेदार सुबुद्वी पुत्र बलवंत के 1/4 हिस्से को शामिल करते हुये वादीगण को 1/2 हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा। एवं उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ... के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.................मुबलिग.......................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.04.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:30:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 18/2023 दिनांकः– 02.02.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. समयसिंह पुत्र सुबुद्वी
2. गजराज पुत्र सुबुद्वी
3. डूंगजीराम पुत्र सुबुद्वी
4. राजन्ती पुत्री सुबुद्वी
5. भगवन्ती पुत्री सुबुद्वी

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान देवलेन तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. धारासिंह पुत्र गणेश
2. गंगासिंह पुत्र गणेश
3. भगवान सिंह पुत्र गणेश
4. भरतसिंह पुत्र गणेश

   समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान देवलेन तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट (वादीगण)

श्री गौरी शंकर गूर्जर एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1 ता 4)

निर्णय दिनांक 30.04.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवलेन स्थित आराजीयात ख0न0 1249/0.05, 1250/0.05, 1251/0.05, 1459/0.33, 1474/0.17, 1475/0.16, 607/0.23 कुल किता 7 कुल रकवा 1.09 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 4 व उनकी माता कम्पूरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 126/2629/0.65, 127/1.90, 130/0.27, 141/0.18, 142/0.11, 143/0.11, 144/0.11, 145/0.16 कुल किता 8 कुल रकवा 3.49 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/10–1/10 व उनकी माता कम्पूरी का 1/10 की खातेदारी व शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2516/1.23, 2519/0.20, कुल किता 2 कुल रकवा 1.43 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/10–1/10 व उनकी माता कम्पूरी का 1/10 की खातेदारी व शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2249/0.07, 2314/0.12, 2461/0.18, 2464/0.11, 2517/2650/0.04, 2518/0.61, 408/0.32, 409/0.05 कुल किता 8 कुल रकवा 1.51 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/10–1/10 व उनकी माता कम्पूरी का 1/10 की खातेदारी व शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रतिवादी न0 1 ता 4 के पिता गणेश पुत्र बलवंत के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 तथा वादीगण के पिता सुबुद्वी पुत्र बलवंत के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:41 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 4 का [illegible] के दो पुत्र दल्ले व बलवंत थे। दल्ले नाऔलाद फौत हुआ था तथा [illegible] गणेश व सुबुद्वी थे। गणेश के वारिस प्रतिवादी न0 1 ता 4 है तथा सुबुद्वी के वारिस वादीगण है। [illegible]ल्ले पुत्र सभाराम के लाऔलाद फौत

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

होने पर उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि दल्ले के खास भाई बलवन्त के पुत्र गणेश व सुबुद्वी को हिस्सा बराबर की खातेदारी होनी चाहिये थी तथा गणेश के फौत जोने पर दल्ले के हिस्से की 1/2 भूमि प्रतिवादी न0 1 ता 4 के नाम तथा सुबुद्वी के फौत होने पर दल्ले के हिस्से की भूमि सुबुद्वी के पुत्र जो वादीगण है उनके नाम होनी चाहिये थी परन्तु गणेश ने राजस्व कर्मचारियो से साज करके अपने आप को दल्ले का गोदपुत्र बताते हुये दल्ले के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी का विरासत का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो जमाबन्दी सम्वत 2025–2028 मे दर्ज है गणेश नाम दल्ले की भूमि की खातेदारी हो जाने पर गणेश का देहान्त हो जाने पर प्रतिवादी न0 1 ता 4 व गणेश की पत्नि कम्पूरी के नाम नामांतकरण खुल गया है जो गलत है। इसलिये दल्ले के लाऔलाद फौत हो जाने के कारण दल्ले के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वादीगण के पिता सुबुद्वी पुत्र बलवंत के नाम हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी न0 1 ता 4 के पिता गणेश के नाम हिस्सा 1/2 होनी चाहिये थी तथा सुबुद्वी के फौत हो जाने पर दल्ले का हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 4 अपने नाम करवाने के अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादी न0 1 ता 4 सुबुद्वी व गणेश के जीवनकाल से ही दल्ले के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि के हिस्सा 1/2–1/2 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने कब्जे की भूमि मे सरसो व गेहू की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 के पिता गणेश पुत्र बलवंत दल्ले पुत्र सभाराम के कभी गोद नही गया था क्योकि गणेश पुत्र बलवंत की मृत्यु होने के बाद भी गणेश का मृत्यु प्रमाण पत्र गणेश पुत्र बलवंत के नाम से ही जारी हुआ है तथा दस्तावेजात मे भी गणेश पुत्र बलवंत ही दर्ज है। यदि गणेश, दल्ले के गोद चला जाता तो गणेश के नेचुरल पिता बलवंत का नाम दर्ज नही होकर दत्तक पिता दल्ले का नाम दर्ज होता इस बात से साबित है कि गणेश कभी दल्ले के गोद नही गया है। तथा गणेश की पत्नि कम्पूरी का भी स्वर्गवास हो गया है। उसके कायम मुकाम वारिस प्रतिवादी न0 1 ता 4 है जो उसके तर्के पर काबिज काश्त है।

बॉका दिनांक 21.01.2023 का है कि वादीगण अपने कब्जे व हिस्से की भूमि पर बैठे हुये थे कि प्रतिवादी न0 1 ता 4 आये और वादीगण से कहा कि अब तुम इस भूमि पर आना–जाना छोड दो, यह भूमि हमारे नाम है। इसलिये हम इस भूमि को रहन व्यय करेगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया, लेकिन वे नही माने। इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक डिकी किया जाकर ख0न0 1249/0.05, 1250/0.05, 1251/0.05, 1459/0.33, 1474/0.17, 1475/0.16, 607/0.23 कुल किता 7 कुल रकवा 1.09 है0 मे वादीगण को 1/2 हिस्से का, ख0न0 126/2629/0.65, 127/1.90, 130/0.27, 141/0.18, 142/0.11, 143/0.11, 144/0.11, 145/0.16 कुल किता 8 कुल रकवा 3.49 है0 मे वादीगण को 1/4 हिस्से का, ख0न0 2516/1.23, 2519/0.20, कुल किता 2 कुल रकवा 1.43 है0 मे 1/4 हिस्से का, ख0न0 2249/0.07, 2314/0.12, 2461/0.18, 2464/0.11, 2517/2650/0.04, 2518/0.61, 408/0.32, 409/0.05 कुल किता 8 कुल रकवा 1.51 है0 मे वादीगण का 1/4 हिस्सा व सुबुद्वी पुत्र बलवंत के 1/4 हिस्से को शामिल करते हुये हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि आराजी का रहन व्यय नही करे। तथा [illegible] मजाहमत मदाखलत नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्र[illegible] किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की और से श्री गौरी शंकर [illegible] एडवोकेट ने [illegible]लतनामा पेश किया, प्रतिवादी न0 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण व वादीगण ने जरिये वकील राजीनामा पेश किया वादीगण व प्रतिवादीगण की पहचान उभयपक्ष वकील द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे मे कथन किया है कि हमारे बीच मे राजीनामा हो गया है प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को सही होना स्वीकार किया है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमा दिया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा वकील उभयपक्षकारान द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने की सहमति पर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम देवलेन की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 की आराजी ख0न0 1249/0.05, 1250/0.05, 1251/0.05, 1459/0.33, 1474/0.17, 1475/0.16, 607/0.23 कुल किता 7 कुल रकवा 1.09 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 व उनकी माता कम्पूरी देवी प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्सा, ख0न0 126/2629/0.65, 127/1.90, 130/0.27, 141/0.18, 142/0.11, 143/0.11, 144/0.11, 145/0.16 कुल किता 8 कुल रकवा 3.49 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 व उनकी माता कम्पूरी देवी प्रत्येक का 1/10—1/10 हिस्सा, तथा गंगू पुत्र हप्पे हिस्सा 1/6, श्री पुत्र पप्पे हिस्सा 1/6, स्वरूप पुत्र हप्पे हिस्सा 1/6 का, ख0न0 2516/1.23, 2519/0.20, कुल किता 2 कुल रकवा 1.43 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 व उनकी माता कम्पूरी का प्रत्येक 1/10—1/10 हिस्सा, पवन कुमार पुत्र मुंशी हिस्सा 1/36, भगवान पुत्र सुगर हिस्सा 1/18, रमन पुत्र सुगर हिस्सा 1/18, रामकरण पुत्र रामफूल हिस्सा 1/6, रामनिवास पुत्र सुगर हिस्सा 1/18, रामबाई पत्नि मुंशी हिस्सा 1/36, हरसहाय पुत्र रामधन हिस्सा 1/12, हरिशंकर पुत्र मुंशी हिस्सा 1/36 के, ख0न0 2249/0.07, 2314/0.12, 2461/0.18, 2464/0.11, 2517/2650/0.04, 2518/0.61, 408/0.32, 409/0.05 कुल किता 8 कुल रकवा 1.51 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 व उनकी माता प्रत्येक का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादीगण के पिता गणेश पुत्र बलवंत हिस्सा 1/4 तथा वादीगण के पिता सुबुद्वी पुत्र बलवंत हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्ष वकील तथा वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने मुताबिक दावा व राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने पर सहमति दर्ज करने से, सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये जाने, तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा डिक्री किये जाने मे लिखित मे अनापत्ति पेश करने तथा पत्रावली मे शामिल नामांतकरण न0 452 दिनांक 21.05.1981 से साबिक ख0न0 34 व 148 का वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के हक मे स्वीकार हुआ है। उक्त विवेचन अनुसार वादीगण का दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम देवलेन स्थित आराजी ख0न0 1249/0.05, 1250/0.05, 1251/0.05, 1459/0.33, 1474/0.17, 1475/0.16, 607/0.23, कुल किता 7 कुल रकवा 1.09 है0 मे हिस्सा 1/2 मे वादीगण को हि.ब. ख0न0 126/2629/0.65, 127/1.90, 130/0.27, 141/0.18, 142/0.11, 143/0.11, 144/0.11, 145/0.16 कुल किता 8 कुल रकवा 3.49 है0 मे हिस्सा 1/4 मे वादीगण को हि.ब., ख0न0 2516/1.23, 2519/0.20 कुल किता 2 कुल रकवा 1.43 है0 मे हिस्सा 1/4 मे वादीगण को हि.ब., ख0न0 2249/0.07, 2314/0.12, 2461/0.18, 2464/0.11, 2517/2650/0.04, 2518/0.61, 408/0.32, 409/0.05 कुल किता 8 कुल रकवा 1.51 है0 मे खातेदार सुबुद्वी पुत्र बलवंत के 1/4 हिस्से को शामिल करते हुये वादीगण को 1/2 हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा। एवं उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। [illegible] डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी